



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 4985

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44953 सन् 2025

फारूख

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता	:-	भरत सिंह
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:-	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री भरत सिंह, याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री अरिमर्दन यादव, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-याचीकाकर्ता फारूख की ओर से मामला अपराध संख्या 429 सन् 2018, धारा 147, 148, 149, 307, 336, 342, 427 आई.पी.सी. तथा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/5 के अंतर्गत, थाना - उशैत, जिला - बदायूँ में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहाई हेतु दाखिल किया गया है।

याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-याचीकाकर्ता निर्दोष है। उसे इसी मामला अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है और वह 29.10.2025 से जेल में बंद है। याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त नूर मोहम्मद को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 43668 सन् 2025 में दिनांक 10.12.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। याचीकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा जमानत पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिहाई की स्थिति में न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने याचीकाकर्ता की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किंतु इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि उपरोक्त समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता तथा समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका एवं प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-याचीकाकर्ता, **फारूख**, जो उपरोक्त मामला अपराध संख्या में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा उतनी ही राशि में दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

1. याचीकाकर्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. याचीकाकर्ता किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. याचीकाकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं डराएगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. याचीकाकर्ता विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।



उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

8 जनवरी, 2026

दीपक/

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।